न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–20 / 2023

प्रार्थीः–

जेठाराम पुत्र पेमाराम जाति रबारी निवासी देवडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. कमलादेवी पत्नी भाखरराम
2. नाबालिग आम्बाराम पुत्र जामताराम संरक्षक भाखरराम पुत्र जामताराम
3. नाबालिग जीतु पुत्र भाखराराम सरंक्षक कमलादेवी पत्नी भाखरराम
4. नाबालिग तीजो पुत्री भाखरराम संरक्षक कमलादेवी पत्नी भाखरराम
5. नाबालिग दीपा पुत्र भाखरराम संरक्षक कमलादेवी पत्नी भाखरराम
6. मोरो पत्नी पेमाराम
7. नाबालिग लीला पुत्री भाखरराम संरक्षक कमलादेवी पत्नी भाखरराम
8. नाबालिग वीरमाराम पुत्र जामताराम संरक्षक भाखरराम पुत्र जामताराम
9. हडमानाराम पुत्र पेमाराम
10. हिमताराम पुत्र पेमाराम

सभी जातियान रबारी निवासीयान देवडा तहसील समदडी जिला बालोतरा (राज.)

11. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड शुद्धि अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. **श्री नेहपालसिंह अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **विप्रार्थीगण अनुपस्थित**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 02.05.24

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 ता 10 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 394 व 504 / 379 रकबा 5.3499 व 2.0153 हैक्टयर भूमि ग्राम दुर्गापुरा तहसील समदडी में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता [illegible] है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ज[illegible] आधार कार्ड आदि में उसका वास्तविक नाम जेठाराम पुत्र पेमाराम दर्ज है कि[illegible] विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम “जेठाराम पुत्र [illegible]” के स्थान पर “नर[illegible] पुत्र पेमाराम” लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.05.10 13:58:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगणो के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार समदडी के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/223 दिनांक 22.02.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की । प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड,राशनकार्ड आदि प्रस्तुत किये है।

दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम जेठाराम पुत्र पेमाराम है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''जेठाराम पुत्र पेमाराम'' के स्थान पर ''नरपतराम पुत्र पेमाराम'' लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड,कक्षा अष्टम् बोर्ड परीक्षा 2009 का प्रमाण पत्र व अंकतालिका, राशनकार्ड,जनआधार कार्ड व जॉब कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम जेठाराम पुत्र पेमाराम दर्ज है,किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम नरपतराम पुत्र पेमाराम दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम जेठाराम पुत्र पेमाराम होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम दुर्गापुरा तहसील समदडी की खसरा संख्या 394 व 504/379 रकबा 5.3499 व 2.0153 हैक्टयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ''नरपतराम पुत्र पेमाराम'' के स्थान पर ''जेठाराम पुत्र पेमाराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 02.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.05.10 13:58:04 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)